

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

पु.सू. 170/20/8

विजयसिंह पुत्र दुलीचन्द जाति ब्राहमण निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ। वादी

बनाम्

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर. ए. एस.  
के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रोहिताश चाहर मिन  
जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं0  
12 एफटीपी बी के खाता सं0 56/62 में दर्ज वादी का नाम बृजलाल पुत्र दुलीचन्द  
के स्थान पर विजयसिंह उर्फ बृजलाल पुत्र दुलीचन्द नाम अंकित किये जाने आदेश  
दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....  
...निल.....खर्चा मुकदमें के मय भद वा भारह फीसदी सालाना आज की तारीख  
वसूलयाबी तक .....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्ख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...1-11-19.....को  
जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)  
सहायक कलैक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी।  
टिब्बी